2026 का विधेयक संख्यांक 109

[दि यूनियन टेरिटोरीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का हिन्दी अनुवाद]

संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का संशोधन

दीर्घ रेखा का संशोधन ।

2. संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) की दीर्घ रेखा में, "कतिपय संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधान सभाओं और मत्रि-परिषदों" शब्दों के स्थान पर "पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्री परिषद्" शब्द रखे जाएंगे । 1963 का 20

3. संपूर्ण मूल अधिनियम में, "पांडिचेरी" शब्द, जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर "पुडुचेरी" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 1 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 में,—

(क) उपधारा (1) में, "संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के उपबंधों का लोप किया जाएगा ।

भाग 2 के शीर्ष का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम के भाग 2 के शीर्ष में, "विधान सभाएं" शब्दों के स्थान पर "विधान सभा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "राज्यक्षेत्रों के लिए विधान सभाएं और उनकी" शब्दों के स्थान पर "विधान सभा और उसकी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में, "प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा, संघ राज्यक्षेत्र के राज्यक्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित किए जाने वाली ऐसी संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगी, जैसा धारा 40क का में निर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, जो किसी भी दशा में यह तीस से कम नहीं होगी,";

(घ) उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु इस उपधारा के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या को परिसीमन पर लागू विधि के अधीन निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के प्रभावी होने पश्चात् ही पांच तक बढ़ाया जा सकेगा, जिसमें से दो महिला होगी, ।"।

(ङ) उपधारा (5) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा में "जनसंख्या" पद का वही अर्थ होगा जो उसका परिसीमन पर लागू विधि में यथा उपबंधित है ।'।

7. मूल अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) में, "ऐसी रीति में जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे" शब्दों के स्थान पर "ऐसी रीति में, जो लागू परिसीमन विधि द्वारा उपबंधित हो और अनुच्छेद 334क के उपबंध ऐसे आरक्षण को लागू होंगे" शब्द रखे जाएंगे । धारा 3क का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 3ख का लोप किया जाएगा । धारा 3ख का लोप ।

9. मूल अधिनियम की धारा 5 में, पार्श्व शीर्ष में **"विधान सभाओं"** शब्दों के स्थान पर **"विधान सभा"** शब्द रखे जाएंगे । धारा 5 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 25 के तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा । धारा 25 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम के भाग 3 में,— भाग 3 का संशोधन ।

(क) धारा 38 का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 40 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि इस धारा के अधीन आबंटित स्थान, धारा 40क में निर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन के अध्यधीन होंगे ।"।

(ग) धारा 40 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"40क. पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में विधान सभाओं और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनःसमायोजन परिसीमन पर लागू विधि के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा अवधारित किया जा सकेगा: निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ।

परंतु ऐसा पुनःसमायोजन तत्समय विद्यमान विधान सभा के विघटन तक विधान सभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा:

परंतु यह और कि जब तक इस प्रकार का पुन: समायोजन प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक विधान सभा के लिए कोई भी निर्वाचन ऐसे पुन: समायोजन से पहले विद्यमान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर आयोजित किया जा सकता है;

(घ) धारा 41, 42, 43, 43क, 43ख, 43ग, 43घ, 43ङ और 43च का लोप किया जाएगा।

12. मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (1) में "प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखा जाएगा। धारा 44 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 53, 54, 54क और धारा 57 का लोप किया जाएगा। धारा 53, धारा 54, धारा 54क और धारा 57 का लोप ।

14. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची का लोप किया जाएगा। दूसरी अनुसूची का लोप ।

अध्याय 3

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन।

15. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है), धारा 3 में,— 1992 का 1

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) राजधानी की विधान सभा ऐसे सदस्यों की संख्या से गठित होगी, जिन्हें राजधानी में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से सीधे निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा, जिसे धारा 38 में निर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा अवधारित किया जा सकता है, जो किसी भी मामले में यह सत्तर से कम नहीं होगी।";

(ख) उपधारा (3) में स्पष्टीकरण और उपबंधों के लिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को रखा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा में, "जनसंख्या" पद का वही अर्थ होगा जो परिसीमन पर लागू विधि में यथाउपबंधित है ।'।

धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।

"38. राजधानी में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का पुन: समायोजन परिसीमन पर लागू विधि के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा अवधारित किया जा सकता है:

परंतु इस प्रकार के पुन: समायोजन से विद्यमान विधानसभा के विघटन तक विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्रभावित नहीं होगा:

परंतु यह और कि जब तक इस प्रकार का पुन: समायोजन प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक विधान सभा के लिए कोई भी निर्वाचन ऐसे पुन: समायोजन से पहले विद्यमान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर आयोजित किया जा सकता है ।"।

धारा 39 का लोप ।

17. मूल अधिनियम की धारा 39 का लोप किया जाएगा।

अध्याय 4

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन

धारा 10 का संशोधन।

18. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 10 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 2019 का 34

"परंतु इस धारा के अधीन आबंटित स्थानों की संख्या धारा 60 में निर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों के पुन: समायोजन के अधीन होगी ।"।

धारा 14 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा, संघ राज्यक्षेत्र में

प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से सीधे निर्वाचन द्वारा चुने गए ऐसे सदस्यों की संख्या से गठित होगी, जैसा कि धारा 60 में निर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा अवधारित किया जा सकता है, और किसी भी स्थिति में यह एक सौ चौदह से कम नहीं होगा;";

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) उपधारा (3) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जब तक कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का पाकिस्तान के दखल वाले क्षेत्र का दखल नहीं हटा दिया जाता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुन लेते हैं, तब तक जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में चौबीस स्थान रिक्त रहेंगे और विधानसभा की कुल सदस्यता की गणना में उन्हें हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।"।

(ग) उपधारा (7) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा में, "जनसंख्या" पद का वही अर्थ होगा जो परिसीमन पर लागू विधि में यथाउपबंधित है ।

(घ) उपधारा (9) और (10) का लोप किया जाएगा।

धारा 14क का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 14क में, उपधारा (3) में, "उस रीति में जो संसद् द्वारा विधि द्वारा अवधारित करे" शब्दों के स्थान पर, "लागू परिसीमन विधि और अनुच्छेद 334क के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति मे ऐसे आरक्षण को लागू होगा" शब्द, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 14ख का लोप ।

21. मूल अधिनियम की धारा 14ख का लोप किया जाएगा।

धारा 15 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 15 में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु ऐसी कोई संख्या तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि परिसीमन के लिए प्रदान की गई लागू विधि, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हों, प्रवृत्त हो गए हों ।"।

धारा 15क का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 15क में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु इस धारा के अधीन नामनिर्देशित ऐसे सदस्यों की संख्यां परिसीमन पर लागू विधि के अधीन प्रभावित सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के पश्चात् तीन तक वृद्धि की जाएगी ।"।

भाग 5 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम के भाग 5 में,—

(क) धारा 59 का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 60 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:—

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।

"60. जम्मू -कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का पुन:समायोजन परिसीमन पर लागू विधि के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा अवधारित किया जा सकता है:

परंतु जब तक ऐसा पुन: समायोजन विधान सभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नही करेगा तब तक विद्यमान विधानसभा का विघटन नही हो जाता:

परंतु यह और कि जब तक ऐसा पुन: समायोजन प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक विधान सभा के लिए कोई भी निर्वाचन ऐसे पुन: समायोजन से पहले विद्यमान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर आयोजित किया जा सकता है;"।

(ग) धारा 61, धारा 62, धारा 63 और धारा 64 का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान (एक सौ छहवां संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं, जिसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाएं भी है, में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का उपबंध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 239कक में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 330क, अनुच्छेद 332क और अनुच्छेद 334क अंत:स्थापित किए गए है। उक्त उपबंध निर्दिष्ट करते हैं कि यह आरक्षण सुसंगत जनगणना के आधार पर की जाने वाली परिसीमन प्रक्रिया के उपरांत ही प्रभावी होगा।

2. इसके अतिरिक्त, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा यह उपबंध करके कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन और स्थानों का आबंटन उस जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, परिसीमन, स्थानों के आबंटन और "जनसंख्या" की परिभाषा से संबंधित संवैधानिक ढांचे में संशोधन करने के लिए है ।

3. वर्तमान में संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के उपबंध जनसंख्या, परिसीमन और आरक्षण से संबंधित विद्यमान संवैधानिक ढांचे पर आधारित हैं। संशोधित संवैधानिक स्कीम के अधीन "जनसंख्या" पद, स्थानों का आबंटन और संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन उस जनगणना के संदर्भ में शासित होगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और ऐसा समायोजन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा। संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रचालन संविधान के अनुच्छेद 334क और उससे संबंधित परिसीमन प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। इन संवैधानिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, इन अधिनियमों में उपर्युक्त संशोधन अपेक्षित हैं जिससे उन्हें संशोधित संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप बनाया जा सके।

4. अतः, उपर्युक्त अधिनियमितियों में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे—

(i) जनसंख्या अवधारण से संबंधित उपबंधों को परिसीमन संबंधी विधि के अनुरूप बनाया जा सके;

(ii) विधान सभाओं में कुल स्थानों की संख्या और उनके राज्यक्षेत्रीय गठन का अवधारण परिसीमन आयोग द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार और विहित न्यूनतम संख्या के अधीन किया जा सके;

(iii) महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित उपबंधों को अनुच्छेद 334क और परिसीमन विधि के अनुरूप समन्वित किया जा सके;

(iv) परिसीमन आयोग द्वारा समुचित संक्रमणकालीन रक्षोपायों के साथ संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के उपबंध सुनिश्चित किए जाएं; और

(v) पूर्ववर्ती परिसीमन व्यवस्थाओं से संबंधित अप्रचलित, अनावश्यक या असंगत उपबंधों को हटाया जा सके, जिससे विधिक ढांचे में स्पष्टता और सुसंगतता

बनी रहे।

5. प्रस्तावित संशोधन मुख्यतः परिणामी और सक्षमकारी प्रकृति के हैं, जो संशोधित संवैधानिक ढांचे के कारण उद्भूत हुए हैं और इनका उद्देश्य संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं में परिसीमन, प्रतिनिधित्व और आरक्षण से संबंधित उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतरता को सुनिश्चित करना है। ये संशोधन किसी स्वतंत्र नीतिगत परिवर्तन को अंतर्वलित नहीं करते हैं, लेकिन विद्यमान विधिक उपबंधों को संशोधित संवैधानिक स्कीम के सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं।

6. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली ;
10 अप्रैल, 2026

अमित शाह

उपाबंध

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 20) से उद्धरण

* * * * * *

कतिपय संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधान सभाओं और मंत्रि-परिषदों तथा कतिपय अन्य मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु यह मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे । यह तारीख संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर तारीख नहीं होगी :

1971 का 83

परन्तु यह और कि यह अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । यह तारीख संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम 1975 के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर तारीख नहीं होगी :

1975 का 29

परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती परन्तुकों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए तथा विभिन्न संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

* * * * * *

भाग 2

विधान सभाएं

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधान सभाएं तथा उनकी संरचना।

3. (1) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी ।

(2) संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में ऐसे स्थानों की कुल संख्या, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, तीस होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार की सेवा में नहीं हैं, संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी ।

* * * * * *

(5) उपधारा (4) के अधीन [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधान सभा में स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो, यथास्थिति, उस संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या से है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना में, जिसके तत्संबंधी आंकडे प्रकाशित हो चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना के, जिसके तत्संबंधी आंकडे प्रकाशित हो चुके हैं, प्रति निर्देश का अर्थ तब तक जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के तत्संबंधी आंकडे प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह लगाया जाएगा कि वह सन् 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।

* * * * * *

पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ।

3क. (1) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, जो संसद्, विधि द्वारा अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना ।

3ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध, संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् हुई पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्रवाई किए जाने के पश्चात् प्रभावी होंगे और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(2) धारा 3क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान, ऐसी तारीख तक आरक्षित बने रहेंगे, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(3) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, ऐसी पश्चातवर्ती परिसीमन कार्रवाई के पश्चात् प्रभावी होगा, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) धारा 3क की कोई बात, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी

प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि तत्कालीन विद्यमान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।

* * * * * *

विधान सभाओं की अवधि।

5. संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी और उद्घोषण के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

* * * * * *

विधेयकों पर अनुमति।

25. जब कोई विधेयक [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया हो तब वह प्रशासक के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और प्रशासक घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित रखता है :

* * * * * *

परन्तु यह और भी कि द्वितीय परन्तुक के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रशासक ऐसे किसी विधेयक पर, जो मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा पारित हो चुका है और जो संविधान की छठी अनुसूची के अधीन उस संघ राज्यक्षेत्र के किसी स्वायत्तशासी जिले में सम्मिलित किसी क्षेत्र के संबंध में है, अनुमति नहीं देगा अपितु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा तथा धारा 25क के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा, यदि उसमें केवल धारा 23 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों में से सबसे या किसी से अथवा उन विषयों में से किसी के आनुषंगिक किसी विषय से संबंध रखने वाले उपबन्ध ही अंतर्विष्ट हैं और, प्रत्येक दशा में, उस पर विधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाणपत्र है कि वह विधेयक धन विधयेक है ।

* * * * * *

भाग 3

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

परिभाषाएं।

38. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सहयुक्त सदस्य" से धारा 42 के अधीन परिसीमन आयोग के साथ या धारा 43क के या धारा 43ग के अधीन निर्वाचन आयोग के साथ सहयुक्त सदस्य अभिप्रेत है ;

1962 का 61

(ख) "परिसीमन आयोग" से परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 3 के

अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(खख) "निर्वाचन आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "नवीनतम जनगणना के आंकड़ों" से संघ राज्यक्षेत्र में उस नवीनतम जनगणना पर, जिसके अंतिम रूप से प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं, अभिनिश्चित किए गए जनगणना के आंकड़े अभिप्रेत हैं ;

(घ) "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" से संघ राज्यक्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विधि द्वारा उपबंधित कोई निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र भी है ।

* * * * * *

लोक सभा में पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व।

40. लोक सभा में, पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को एक स्थान आबंटित किया जाएगा औरवह संघ राज्यक्षेत्र एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

परिसीमन आयोग के कर्तव्य।

41. (1) परिसीमन आयोग का यह कर्तव्य होगा कि—

(क) वह प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र में सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करे; और

(ख) वह नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाने वाले स्थानों की संख्या का और उन निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करे, जिनमें ये स्थान इस प्रकार आरक्षित रखे जाएंगे ।

(2) परिसीमन आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि—

(क) वह नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के संघ राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक का संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में पुन:समायोजन करे, यह संख्या 7, 4, 2 तथा 2 होगी];

(ख) वह उस निर्वाचन-क्षेत्र का अवधारण करे जिसमें, यथास्थिति, अनुसूचति जातियों या अनुसूचति जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखा जाएगा ; और

(ग) वह गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को दो एक-सदस्य संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित करे ।

सहयुक्त सदस्य।

42. (1) परिसीमन आयोग को उसके कर्तव्यों में सहायता करने के प्रयोजन के लिए, परिसीमन आयोग अपने साथ निम्नलिखित व्यक्तियों को सहयुक्त करेगा,—

(क) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के बारे में, उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सभी सदस्य ;

(ख) हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में उन संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सभी सदस्य और उस संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों में से विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित उस संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के तीन सदस्य ;

(ग) गोवा, दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के बारे में उस संघ राज्यक्षेत्र का

प्रतिनधित्व करने वाले लोक सभा के दो सदस्य ;

(घ) पांडेचेरी संघ राज्यक्षेत्र के बारे में उस संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों में से विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित उस विधान सभा के तीन सदस्य ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विभिन्न विधान सभाओं के सदस्यों का नामनिर्देशन उनके अपने-अपने अध्यक्षों द्वारा यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा और परिसीमन आयोग को संसूचित किया जाएगा ।

(3) यदि मृत्यु या त्यागपत्र के कारण किसी सहयुक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति, यथासाध्य शीघ्रता से, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसार की जाएगी ।

(4) सहयुक्त सदस्यों में से किसी को भी परिसीमन आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

1962 का 69

परिसीमन के बारे में प्रक्रिया।

43. (1) परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 7, 9, 10 और 11 के उपबन्ध इस भाग के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध में यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन को लागू होते हैं ।

मिजोरम विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए विशेष उपबन्ध।

43क. (1) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के विधान सभा के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए धारा 39 से 43 तक (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबन्ध निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन को लागू नहीं होंगे ।

(2) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा को धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए स्थानों को एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में, निर्वाचन आयोग इसमें उपबन्धित रीति से, वितरित करेगा और संविधान के उपबन्धों को तथा निम्नलिखित उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उनका परिसीमन करेगा—

(क) यथासंभव सभी निवार्चन-क्षेत्र भौगोलिक रूप से संहृत क्षेत्र होंगे ;

(ख) निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन करने में भौगोलिक लक्षणों, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार सुविधाओं और लोक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा ।

(3) निर्वाचन आयोग उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को सहयुक्त सदस्यों के रूप में अपने साथ सहयुक्त करेगा :—

1971 का 81

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन के ठीक पूर्व असम राज्य की विधान सभा के सभी सदस्य जो असम राज्य की विधान सभा के लिए लुंगलेड, एजल पूर्व तथा एजल पश्चिम प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं ; तथा

(ख) मिजो जिला परिषद् के ऐसे तीन निर्वाचित सदस्य जिन्हें उसका अध्यक्ष नामनिर्देशित करे :

परन्तु किसी सहयुक्त सदस्य को मत देने का अथवा निर्वाचन आयोग के किसी

विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(4) यदि मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण किसी सहयुक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो वह यथासाध्य, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा ।

(5) निर्वाचन आयोग—

(क) निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता हो, राजपत्र में और अन्य ऐसी रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ-साथ एक ऐसी सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख भी विनिर्दिष्ट हो जिसको या जिसके पश्चात् वह प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हुए हों, विचार करेगा ;

(ग) उन आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हुए हों, एक या अधिक आदेशों द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसमीन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित कराएगा और ऐसे प्रकाशन पर ऐसे आदेश या आदेशों को विधि का पूर्ण बल प्राप्त होगा और वे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे ।

(6) निर्वाचन आयोग समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी आदेश में मुद्रण संबंधी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण होने वाली किसी गलती को ठीक कर सकेगा ;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या आदेशों में वर्णित किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन किए जाते हैं वहां ऐसे संशोधन जो उसे ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों कर सकेगा ।

(7) उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को और उपधारा (6) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना को उसे किए जाने अथवा निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

(8) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ उस संघ राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने की दृष्टि से उस संघ राज्यक्षेत्र में इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व किए गए सभी कार्य और सभी उपाय, जहां तक वे इस धारा के पूर्वगमी उपबन्धों के अनुरूप हैं, उन उपबन्धों के अधीन किए गए समझे जाएंगे, मानो वे उपबन्ध उस समय प्रवृत्त हों जब ऐसे कार्य या उपाय किए गए हों ।

लोक सभा में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व।

43ख. (1) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के पश्चात् होने वाले लोक सभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात् गठित होने वाली लोक सभा में और उसके आगे भी अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र को दो स्थान आबंटित किए जाएंगे तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी 1975 का 29 1950 का 43

जाएगी ।

अरुणाचल प्रदेश में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए विशेष उपबन्ध।

43ग. (1) धारा 39 से धारा 43 तक (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबन्ध अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन को अथवा उस संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन को लागू नहीं होंगे ।

(2) निर्वाचन आयोग नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र को दो एक-सदस्य संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित करेगा ।

(3) निर्वाचन आयोग अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए स्थानों को एक-सदस्य सभा-निर्वाचन-क्षेत्रों में, इसमें उपबन्धित रीति से, वितरित भी करेगा और नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित उपबंधों का ध्यान रखते हुए उनका परिसीमन भी करेगा :—

(क) यथासाध्य सभी निर्वाचन-क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से संहत क्षेत्र होंगे ;

(ख) प्रत्येक सभा-निर्वाचन-क्षेत्र का इस प्रकार परिसीमन किया जाएगा जिससे कि वह एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पडे ;

(ग) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन में, भौतिक लक्षणों, प्रशासनिक ईकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और लोक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा ।

(4) निर्वाचन आयोग उपधारा (2) और (3) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में सहायता के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को सहयुक्त सदस्यों के रूप में अपने साथ सहयुक्त करेगा—

(क) अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का सदस्य ;

(ख) अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के ऐसे पांच सदस्य जिन्हें उस सभा का अध्यक्ष विधान सभा की संरचना को ध्यान में रखते हुए नामनिर्देशित करे :

परन्तु किसी सहयुक्त सदस्य को मत देने अथवा निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(5) यदि मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण किसी सहयुक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो वह, यथासाध्य, उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।

(6) निर्वाचन आयोग—

(क) निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य का विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता हो, राजपत्र में और अन्य ऐसी रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ-साथ एक ऐसी सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें उन प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट हो, जिसकी या जिसके पश्चात् वह प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हुए हों, विचार करेगा ;

(ग) उन आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हुए हों, एक या अधिक आदेशों द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करेगा, और ऐसे प्रकाशन पर ऐसे आदेश या आदेशों का विधि का पूर्ण बल प्राप्त होगा और वे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होंगे ।

(7) निर्वाचन आयोग, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) उपधारा (6) के अधीन किए गए किसी आदेश में मुद्रण संबंधी किसी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण उत्पन्न होने वाली किसी गलती को ठीक कर सकेगा ;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या आदेशों में वर्णित किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं में या नाम में परिवर्तन किए जाते हैं वहां ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए ऐसे संशोधन, जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों कर सकेगा ।

(8) उपधारा (6) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को और उपधारा (7) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को उसके किए जाने अथवा जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लोक सभा और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

(9) अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ उस संघ राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने की दृष्टि से उस संघ राज्यक्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए सभी कार्य और सभी उपाय जहां तक वे इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अनुरूप हैं, उन उपबंधों के अधीन किए गए समझे जाएंगे, मानो वे उपबंध उस समय प्रवृत्त हों जब ऐसे कार्य या उपाय किए गए हों ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए गोवा, दमण और दीव की विधान सभा में निर्वाचन-क्षेत्रों के अवधारण के लिए विशेष उपबंध।

43घ. (1) निर्वाचन आयोग नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित का अवधारण करेगा, अर्थात्—

(i) उन स्थानों की संख्या, जो धारा 3 की उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में (जिसे इसमें इसके विधान सभा कहा गया है) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाने हैं ; और

(ii) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें ऐसे स्थान परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और परिसीमन आयोग द्वारा यथापरिसीमित किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में कोई परिवर्तन किए बिना इस प्रकार आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) निर्वाचन आयोग—

(क) उन निर्वाचन-क्षेत्रों के अवधारण के लिए जिनमें, यथास्थिति, अनुसूचति जातियों या अनुसूचति जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, अपनी

प्रस्थापनाएं उन प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने वाली सूचना सहित और वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए जिसको या जिसके पश्चात् उन प्रस्थापनाओं पर आगे विचार किया जाएगा । भारत के राजपत्र में और गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से भी जो निर्वाचन आयोग उचित समझे, प्रकाशित करेगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई तारीख से पूर्व प्राप्त हो, विचार करेगा ;

(ग) उन आक्षेपों और सुझावों पर जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पूर्व प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् उन स्थानों की संख्या का, जो विधान सभा में, यथास्थिति, अनुसूचति जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे और उन निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें वे स्थान इस प्रकार आरक्षित किए जाएंगे, एक या अधिक आदेशों द्वारा, अवधारण करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को भारत के राजपत्र में और गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के राजपत्र में प्रकाशित कराएगा और भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन पर ऐसे आदेश या आदेशों को विधि का पूर्ण बल प्राप्त होगा और वे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होंगे और लोक प्रतिनिधित्व, 1950 की द्वितीय अनुसूची और परिसीमन अधिनियम की धारा 9 के अधीन विधान सभा के संबंध में परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेश तद्नुसार संशोधित किए गए समझे जाएंगे ।

1950 का 43

(3) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधान सभा में किन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन, जो इस धारा के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए आदेश द्वारा आवश्यक हो गया है, ऐसे आदेश के उपधारा (2) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् होने वाले विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होगा ।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं की कोई बात, निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए आदेश के उपधारा (2) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(5) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—

(क) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश में मुद्रण संबंधी गलती को या अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकता है ;

(ख) जहां किसी ऐसे आदेश में वर्णित किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं में या नाम में कोई परिवर्तन किए जाने हैं वहां ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं ।

(6) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश और उपधारा (5) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को, उसके किए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(क) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 1972 अभिप्रेत है । 1972 का 76

(ख) "परिसीमन आयोग" से परिसीमन अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ।

प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के पुन: समायोजन के बारे में विशेष उपबंध।

43ङ. धारा 38 से धारा 43घ में (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) किसी बात के होते हुए भी, जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन: समायोजन करना आवश्यक नहीं होगा, तथा इस भाग में "नवीनतम जनगणना के आंकड़ों" के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रतिनिर्देश हैं ।

परिसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन।

43च. परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन आदेशों के प्रकाशन या उक्त धारा की उपधारा (2) अथवा उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर संघ राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन में कोई पुन: समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशितआदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुन: समायोजन के प्रभावी होने तक, विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन ऐसे पुन: समायोजनसे पूर्व विद्यमान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर कराया जा सकेगा ।

भाग 4

मंत्रि-परिषद्

मंत्रि-परिषद्।

44. (1) जिन बातों में इस अधिनियम द्वारा या उनके अधीन प्रशासक से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे या किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी न्यायिक या न्यायवत् कृत्यों का निर्वहन करे उन बातों को छोड़कर प्रशासक को उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत संघ राज्य की विधान सभा को विधियां बनाने की शक्ति है उसके कृत्य का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी, जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा :

परन्तु किसी विषय पर प्रशासक तथा उसके मंत्रियों के बीच मतभेद की दशा में, प्रशासक उस विषय को विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति को निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसा विनिश्चय होने तक प्रशासक, किसी ऐसे मामले में, जहां मामला उसकी राय में इतना अत्यावश्यक है कि उसके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है वहां उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने या ऐसा निदेश देने के लिए जैसा कि वह ठीक समझे सक्षम होगा :

* * * * * *

गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी से संसद् के निर्वाचन के लिए उपबन्ध।

53. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र—

(क) गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को आबंटित लोक सभा में स्थानों को भरने के लिए ; तथा

(ख) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को आबंटित लोक सभा तथा राज्य सभा के

स्थान को भरने के लिए,

विधि के अनुसार निर्वाचन किए जाएंगे ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी लोक सभा में गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्य तब तक ऐसे रूप में बने रहेंगे, जब तक उस संघ राज्यक्षेत्र को उस सदन में आबंटित दो स्थानों को भरने के लिए सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया जाता है :

परन्तु जहां सदस्यों के निर्वाचन की तारीखें भिन्न-भिन्न हों वहां इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य उन दो तारीखों में से पूर्वतर तारीख से उस सदन के सदस्य नहीं रहेंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "निर्वाचन की तारीख" पद का वही अर्थ है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67क में है ।

1951 का 43

मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र स्थित कतिपय क्षेत्रों में न्याय प्रशासन के लिए संक्रमणकालीन उपबंध।

54. इस अधिनियम के प्रारम्भ पर और से मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में और जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अन्य उपबन्ध नहीं किए जाते हैं तब तक उस संघ राज्यक्षेत्र के उन क्षेत्रों में जो संविधान की छठी अनुसूची के अधीन किसी स्वायत्तशासी जिले में समाविष्ट नहीं है, न्याय प्रशासन उस अनुसूची के पैरा 4 तथा 5 के उपबन्धों के अनुसार चलाया जाएगा, मानो वे क्षेत्र उस अनुसूची के अधीन किसी स्वायत्तशासी जिले में समाविष्ट हों और उक्त पैराओं के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त हों और इस प्रयोजन के लिए—

(i) उक्त पैरा 4 के उपबंधों के अधीन जिला परिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग प्रशासक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा ;

(ii) उक्त पैरा 5 ऐसे प्रभावी मानो जिला परिषद्, क्षेत्रीय परिषद् और जिला परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों के प्रति निर्देशों का, चाहे वे किन्हीं शब्दों में क्यों न हों, उसमें से लोप कर दिया गया हो ; और

(iii) उक्त पैरा 4 और पैरा 5 में, राज्यपाल के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा मानो वे प्रशासक के प्रति निर्देश हो ।

अरुणाचल प्रदेश की अनंतिम विधान सभा के बारे में उपबंध।

54क. (1) इस अधिनियम के किसी बात के होते हुए भी (जिसके अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा की सदस्य संख्या से संबंधित उपबंध भी हैं) जब तक अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा को सम्यक् रूप से गठित और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार प्रथम सत्र के लिए अधिविष्ट होने के लिए आहूत नहीं किया जाता है तब तक एक इस ऐसी अनंतिम विधान सभा होगी जिसके सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण (प्रशासन) अनुपूरक विनियम, 1971 की धारा 3 के खण्ड (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट हैं और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में उक्त धारा 3 के अधीन गठित प्रदेश परिषद् के सदस्यों के में कार्य कर रहे हैं ।

(2) अनंतिम विधान सभा के सदस्यों की पदावधि उस विधान सभा के प्रथम साधारण निर्वाचन के पश्चात् सम्यक् रूप से गठित विधान सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पूर्व समाप्त हो जाएगी ।

(3) इस धारा के अधीन गठित अनंतिम विधान सभा के बारे में तब तक, जब तक कि वह अस्तित्व में है, यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से गठित विधान सभा है और तद्नुसार इस अधिनियम के अन्य उपबंध यथासंभाव अनंतिम विधान सभा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे विधान सभा के संबंध में लागू होते हैं ।

* * * * * *

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

57. (1) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां—

(क) उनके अधीन बनाए गए या जारी किए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों के साथ गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तारित तथा प्रवृत्त होंगी ; और

(ख) उक्त अनुसूची के चतुर्थ स्तम्भ में उल्लिखित संशोधन के अधीन होगी ।

(2) गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों से लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए और उन राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने या उनके पुनरीक्षण के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई सभी बातों और उठाए गए सभी कदमों के बारे में, जहां तक वे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों के अनुरूप हों, यह समझा जाएगा कि वे विधि के अनुसार किए गए हैं । 1950 का 43

* * * * * *

दूसरी अनुसूची

(धारा 57 देखिए)

संशोधित अधिनियमितियां

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1950	43	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950	धारा 4 की उपधारा (1) में, "गोवा, दमण और दीव" शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 13ख की उपधारा (1) में "ऐसे संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे । धारा 13घ की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) में, "ऐसे संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे । धारा 27क में,– (i) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ; (ii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :– "(4) हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और

			पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए निर्वाचकगण उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अधीन उस राज्यक्षेत्र के लिए गठित की गई हो ।" । प्रथम अनुसूची में,– (i) प्रविष्टि "24, गोवा, दमण और दीव-2" के पश्चात्, प्रविष्टि "25, पांडिचेरी-1" अन्त:स्थापित की जाएगी और पूर्वोत्तर सीमान्त भू-भाग से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि, प्रविष्टि 26 के रूप में पुन: संख्यांकित की जाएगी ; (ii) जोड़ के स्थान पर, निम्नलिखित जोड़ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "जोड़ ..... 508"। द्वितीय अनुसूची में–नागालैंड से संबंधित प्रविष्टि 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :– "16. हिमाचल प्रदेश.....40 17. मणिपुर.....30 18. त्रिपुरा.....30 19. गोवा, दमण और दीव.....30 20. पांडिचेरी.....30" । पंचम अनुसूची का लोप किया जाएगा ।
1951	43	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	धारा 4 में "गोवा, दमण और दीव को" शब्दों का लोप किया जाएगा ; धारा 15 की उपधारा (2) में– (i) "राज्यपाल" शब्द के स्थान पर "यथास्थिति, राज्यपाल या प्रशासक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; (ii) परन्तुक में, "सभा की अस्तित्वावधि का अवसान अनुच्छेद 172 के खण्ड (i) के उपबन्धों के अधीन होता" शब्दों और अंकों के स्थान पर "सभा की अस्तित्वाधीन का अवसान, यथास्थिति, अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबंधों के अधीन होता" शब्द रखे जाएंगे । धारा 32 में "चुने जाने के लिए संविधान और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्हित है" शब्दों के

			स्थान पर "चुने जाने के लिए, यथास्थिति, संविधान और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अधीन अर्हित है" शब्द रखे जाएंगे । धारा 36 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में– (i) "191" अंक के पश्चात् आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा । (ii) "इस अधिनियम के भाग 2" शब्दों और अंक के स्थान पर "इस अधिनियम के भाग 3 और संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 4 और धारा 14" शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 55 में "यदि वह संविधान और इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के स्थान पर "यदि वह, यथास्थिति, संविधान और इस अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 100 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में "संविधान या इस अधिनियम के" शब्दों के पश्चात् "या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के" शब्द और अंक अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।
1956	37	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के– (i) खण्ड (घ) में "महाराष्ट्र" शब्द के पश्चात्, "और दादरा और नागर हवेली और गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ; (ii) खण्ड (ङ) में "केरल" शब्द के पश्चात् "और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का अधिनियम संख्यांक 1) से उद्धरण

* * * * * *

भाग 2

विधान सभा

विधान सभा और उसकी संरचना।

3. (1) विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या सत्तर होगी ।

* * * * * *

(3) विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राजधानी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात राजधानी की कुल जनसंख्या से है और ऐसे आरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 334 के उपबंध लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है :

2002 का 33

परंतु यह और कि परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर राजधानी के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन में कोई पुन:समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुन: समायोजन के प्रभावी होने तक, विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन ऐसे पुन: समायोजन से पूर्व विद्यमान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर कराया जा सकेगा ।

* * * * * *

भाग 3

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करना।

38. (1) निर्वाचन आयोग, धारा 3 के अधीन विधान सभा के लिए समनुदिष्ट स्थानों को एक-सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में, इसमें उपबन्धित रीति से, वितरित करेगा और उनका परिसीमन निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात् :—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्रों का, यथासाध्य, ऐसी रीति से परिसीमन किया जाएगा कि राजधानी की कुल जनसंख्या का ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या से अनुपात एक ही हो; और

(ख) वे निर्वाचन-क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जहां उनकी जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक हो ।

(2) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से भी, जैसी आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ-साथ एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे उस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों;

(ग) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले उसे प्राप्त हुए सभी आक्षेपों और सुझावों

पर विचार करने के पश्चात्, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा; और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेगा या रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेश को प्रवर्तन रखने की शक्ति।

39. निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर,—

(क) धारा 38 के अधीन किए गए किसी आदेश में की किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें हुई किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा;

(ख) वहां, जहां कि उस किसी आदेश में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड को सीमाओं या नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं, का ऐसे संशोधान कर सकेगा जो उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

* * * * * *

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * * *

लोक सभा में प्रतिनिधित्व ।

10. नियत दिन से ही, लोक सभा में उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र को पांच स्थान और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को एक स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

* * * * * *

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए विधान सभा और उसका गठन ।

14. (1) * * * * *

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक सौ सात होगी :

परंतु धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से ही इस उपधारा के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो अंक "107" के स्थान पर अंक "114" रखा गया हो।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके पाकिस्तान के दखल वाले क्षेत्र का दखल में नहीं हटा दिया जाता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुन लेते हैं, तब तक,—

(क) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में चौबीस स्थान रिक्त रहेंगे और सभा की कुल सदस्यता की गणना में उन्हें हिसाब में नहीं लिया जाएगा ; और

(ख) उक्त क्षेत्र या स्थानों को, इस अधिनियम के भाग 5 के अधीन यथा उपबंधित प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन में अपवर्जित किया जाएगा ।

* * * * * *

(7) उपधारा (6) के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी अनुसूचित जातियों की अथवा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी अनुसूचित जनजातियों की,

जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित जनसंख्या का अनुपात जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी कुल जनसंख्या से है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना में, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना के, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, प्रति निर्देश का अर्थ तब तक, जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2011 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।

* * * * * *

(9) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्षक के अधीन,—

"(क) प्रविष्टि 10 को हटाया जाएगा" ।

"(ख) प्रविष्टि 11 से प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 10 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा" ।

(10) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची में, "II. संघ राज्यक्षेत्र" उपशीर्षक के अधीन, "जम्मू-कश्मीर" से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 2 से स्तंभ 7 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"3. जम्मू-कश्मीर	90	7	9	90	7	9"।'

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ।

14क. (1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जिसे संसद्, विधि द्वारा अवधारित करे ।

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना ।

14ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात्, की गई पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित हो जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन किए जाने के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(2) धारा 14क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान ऐसी तारीख तक आरक्षित रहेंगे, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, ऐसे पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात्, उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) धारा 14क की कोई बात, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।

स्त्रियों का प्रतिनिधित्व ।

15. धारा 14 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल, यदि उसकी यह राय है कि विधान सभा में स्त्रियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए विधान सभा में दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

कश्मीरी विस्थापितों का नामनिर्देशन ।

15क. धारा 14 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों के समुदाय से दो से अनधिक सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकेगा, जिनमें से एक महिला होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विस्थापित" पद का वही अर्थ होगा जो जम्मू-कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थम् विक्रय पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खंड (ङ) में उसका है ।

* * * * * *

भाग 5

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

परिभाषाएं।

59. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सहयुक्त सदस्य" से धारा 60 के अधीन परिसीमन आयोग से सहयुक्त कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ख) "परिसीमन आयोग" से परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन और उसके पश्चात् संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "निर्वाचन आयोग" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "नवीनतम जनगणना आंकड़े" से ऐसे नवीनतम जनगणना के अभिनिश्चित जनगणना संबंधी आंकड़े अभिप्रेत हैं, जिसके अंतिम रूप से प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं ;

(ङ) "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रसे लोक सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विधि द्वारा उपबंधित कोई निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" से विधान सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विधि द्वारा उपबंधित कोई निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।

60. (1) इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में स्थानों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी जाएगी और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित किया जाएगा—

(क) संविधान के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या ;

(ख) उन सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, जिनमें संघ राज्यक्षेत्रको विभाजित किया जाएगा, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक का विस्तार और उनमें से प्रत्येक में वे स्थान, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे ; और

(ग) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्रमें संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन और उनके विस्तार का वर्णन, जो आवश्यक या समीचीन हो ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट विषयों का अवधारण करते समय, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे ;

(ख) सभी निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहृत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी भौतिक विशिष्टताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखना होगा ; और

(ग) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे, जिनमें कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक हो ।

(3) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए सहयुक्त सदस्यों के रूप में ऐसे चार व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, और वे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के चार सदस्य हों :

परंतु सहयुक्त सदस्यों में से किसी को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(4) यदि किसी सहयुक्त सदस्य का पद, मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो वह, जहां तक साध्य हो, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।

(5) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित

करेगा और साथ ही एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट हो जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों ; और

(ग) उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(6) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति।

61. (1) निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) धारा 60 के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी मुद्रण संबंधी भूल को उसमें अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा ;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या किन्हीं आदेशों में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन हो जाए, वहां ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो उसे ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

2011 की जनगणना के आधार पर संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के पुन:समायोजन के बारे में विशेष उपबंध।

62. (1) नियत दिन से ही, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उपधारा (1) का अधीन आदेशों का प्रकाशन होने पर भी या उक्त धारा की उपधारा (2) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिसीमन अधिनियम, 2002 को नीचे यथा उपबंधित रीति में संशोधित किया गया समझा जाएगा :—

(क) धारा 2 के खंड (च) में, "किन्तु इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(ख) सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजन के लिए, "वर्ष 2001 में हुई जनगणना" शब्दों और अंकों का, जहां कहीं वे आते हैं, "वर्ष 2011 में हुई जनगणना" शब्द और अंक के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

(2) उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें, धारा 60 के अधीन यथा उपबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों का सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में पुन: समायोजन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा और उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें, धारा 11 के अधीन यथा उपबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों का संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में पुन: समायोजन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा और उस

तारीख से प्रभावी होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के पुन: समायोजन के बारे में विशेष उपबंध ।

63. धारा 59 से धारा 61 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् पहली जनगणना के लिए प्राप्त किए गए सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन: समायोजन आवश्यक नहीं होगा और इस भाग में "अंतिम जनगणना के आंकड़ों" के प्रति किसी निर्देश का अर्थ 2011 की जनगणना के आंकड़ों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

परिसीमन के बारे में प्रक्रिया ।

64. इस भाग के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन के संबंध में संसद् द्वारा बनाई गई विधि में यथा उपबंधित प्रक्रिया वैसे ही लागू होगी जैसे वह उस विधि के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में लागू होती है ।

* * * * * *